न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 1 मैनपुरी।

UPMP010005962026

VIJAY KUMAR DUNGRAKOTI, J.O.No–UP06156

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं० 49/2026

दिनेश कुमार बनाम उ०प्र० राज्य

दिनांक–23–04–2026

आदेश

1– उपनिरीक्षक थाना करहल मैनपुरी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया है कि घटना दिनांक 23.12.2024 समय करीब 20.40 बजे अभियुक्तगण 1. शिवम उर्फ भोला पुत्र बोधपाल निवासी ग्राम मोहनपुर थाना सकरौली जिला एटा, 2. योगेश पुत्र रघुवीर सिंह निवासी भीलनगर थाना सकरौली जिला एटा से नाजायज 120 किलोग्राम गांजा मादक पदार्थ के लिये उपयोग किये गये वाहन (ट्रक) संख्या RJ11GD0152 जिसका चैसिस नम्बर MAT843305R7F11337 व इंजन नम्बर 3LNGD11FVX514782 है, को गिरफ्तार किया गया था। जिसके संबंध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 498/24 धारा 8/20/29/25/60(3) एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना करहल मैनपुरी पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्तगण द्वारा गाड़ी वाहन ट्रक संख्या RJ11GD0152 से उपरोक्त अवैध मादक पदार्थ गांजा करीब 120 किलोग्राम को परिवहन करने के पर्याप्त साक्ष्य पाये गये है जिसको थाना हाजा के रो०आम में बहवाले नकल रपट सं० 78 समय 23.49 बजे दिनांक 23.12.2024 पर दाखिल कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया है। विवेचना के दौरान वाहन की डिटेल प्राप्त होने पर वाहन के स्वामी दिनेश कुमार पुत्र मान सिंह निवासी भीलनगर इसोली जनपद एटा का नाम प्राप्त हुआ। अतः उक्त वाहन को धारा 60(3)एन.डी.पी.एस. एक्ट में वाहन जब्त करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है।

2– आपत्ति दाखिल करते हुए वाहन स्वामी द्वारा कथन किया गया है कि पुलिस द्वारा उक्त वाहन की जब्तीकरण की कार्यवाही गलत की गयी है। वह वाहन का पंजीकृत स्वामी है, वाहन माल वाहक वाहन है जिसे चालक द्वारा संचालित किया जाता है। प्रथम दृष्टया प्रार्थी को घटना स्वीकार नही है। यदि वाहन का प्रयोग घटना में किया गया है तो उसमें वाहन को कोई दोष नही है। केवल चालक के दोष के आधार पर वाहन जब्त किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

3– विशेष अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व वाहन स्वामी के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4– प्रस्तुत मामलें में वाहन स्वामी दिनेश कुमार प्रथम दृष्टया नामजद नही है। वाहन स्वामी का कथन है कि उसका वाहन माल वाहक वाहन है तथा उसे इस बात की

जानकारी नही है कि घटना किस प्रकार से कारित की गयी है। प्रस्तुत मामले में वाहन स्वामी की संलिप्ता दर्शित नही है। अतः वाहन को जब्त किये जाने का कोई आधार नही है। अतः वाहन को जब्त करने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

वाहन जब्तीकरण के संबंध में दिया गया प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–23–04–2026

(विजय कुमार डुँगराकोटी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या 01, मैनपुरी
J.O.No–UP06156